प्रमाणपत्र कमांक 094267

प्रारूप –8

नियम 7(2) देखिये

संख्या 2832 दिनांक 13.06.2016

सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण–पत्र

पंजीकरण संख्या	पत्रावली संख्या	दिनांक
599	1–179699	2016-2017

एतद्द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि *..
श्री एजूकेशनल सोसाइटी,
....को आज
मो0 हाथीपुर उत्तरी, निकट होमगार्ड आफिस, लखीमपुर खीरी।
उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृति के सम्बन्ध में यथासंशोधित सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860 के अधीन सम्यक् रूप से रजिस्ट्रीकृत किया गया है । यह प्रमाण–पत्र .... तक विधि मान्य होगा ।

08-06-2021

आज दिनांक ....दो हजार ....को मेरे हस्ताक्षर से दिया गया । **09 - 06** **16**

*सोसाइटी का नाम, पता

सोसाइटी के रजिस्ट्रार
उत्तर प्रदेश

पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 1 सो0 फर्म एवं चिट्स–21–11–2014–(1373)–2,00,000 प्रतियां (क0 / टी0 / ऑफसेट)।

(P)

Try. Form No. 385

RECEIPT FOR PAYMENT TO GOVERNMENT

(Form No. 1, Chapter III, Paragraph 26, Financial Hand-book Volume V, Part I) 233111

डिप्टी रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
लखनऊ मण्डल, लखनऊ

Receipt No. E

Date 06/06/11

Place

Department and Office

Received from श्री [illegible]

the sum of Rupees 2000/- [illegible]

पंजी०

on account of

Cashier or Accountant.

Signature of Government Servant granting the receipt.

Designation

024

सेवा में,

डिप्टी रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स
लखनऊ मण्डल, लखनऊ ।

महोदय,

निवेदन है कि संस्था– **श्री एजूकेशनल सोसाइटी पता–मो0 हाथीपुर उत्तरी निकट होमगार्ड आफिस,लखीमपुर,खीरी ,के** पंजीयन हेतु स्मृतिपत्र नियमावली शपथ पत्र (नोटरी) तथा 2000/रूपये पंजीयन शुल्क कार्यालय में जमा कर रहे है ।

अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त संस्था के पंजीयन कर पंजीयन प्रमाण पत्र निर्गत करने की कृपा करें।

महान कृपा होगी।

दिनांक–

भवदीय,

(रजनीश कुमार)
सचिव /प्रबन्धक
श्री एजूकेशनल सोसाइटी
पता–मो0 हाथीपुर उत्तरी निकट होमगार्ड आफिस,लखीमपुर,खीरी

संलग्नक–
1–स्मृतिपत्र नियमावली
2–शपथ पत्र (नोटरी)
3–पता प्रमाण
4–2000/रूपये शुल्क

06/06/16
कार्यालय डिप्टी रजिस्ट्रार,
फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स,
लखनऊ मण्डल, लखनऊ

स्मृति पत्र

1–संस्था का नाम : श्री एजूकेशनल सोसाइटी

2–संस्था का पता : मो0 हाथीपुर उत्तरी निकट होमगार्ड आफिस,लखीमपुर,खीरी

3–संस्था का कार्यक्षेत्र : सम्पूर्ण उ0प्र0

4–संस्था के उद्देश्य –

1. बालक बालिकाओं के लिए प्रारम्भिक स्तर से लेकर उच्च शिक्षा स्तर तक शिक्षा विभाग के मानको के अनुसार शिक्षण संस्थाओं की स्थापना कर संचालित करना तथा उनके पठन पाठन की समुचित व्यवस्था करना।
2. पल्स पोलियो ड्राप,एड्स,कैन्सर,टी0बी0,हैपेटाइटिस,मधुमेह,नशामुक्ति,कुष्ठ रोग मलेरिया एवं जानलेवा रोगों की पहचान/जांच कर उसकी रोकथाम के उपाय करना तथा जागरूकता शिविरो की आयोजन कर उनका उन्मूलन करना।
3. महिलाओं/बालिकाओं तथा युवकों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सिलाई, कढाई, बुनाई शिल्पकला, ब्यूटीशियन कोर्स, हस्तशिल्पकला,ललित कला, संगीत,गायन,वादन फैशन डिजाइनिंग, चिकन प्रिन्टिग, जरी,ज्वैलरी मेकिंग, मेंहदी, वाल पेन्टिग, मिटटी के वर्तन, फ्लावर मेकिंग, अचार, मुरब्बा, फल संरक्षण खादी तथा कलात्मक वस्तुओं के निर्माण आदि का निःशुल्क प्रशिक्षण दिलाकर उन्हें स्वावलम्बी बनाना तथा हस्तशिल्प उद्योगों को बढावा देना तथा हस्तशिल्पियों के विकास एवं उत्थान एवं पुर्नवास की समुचित व्यवस्था कराना।
4. अनु0जाति,जनजाति,कमजोर वर्ग एवं पिछडे,अल्पसंख्यक वर्ग के युवाओं/ महिलाओं हेतु आधुनिक शिक्षण संस्थाओं जैसे –कम्प्यूटर शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, तकनीकी शिक्षा तथा इलेक्ट्रानिक प्रशिक्षण केन्द्रो की निःशुल्क व्यवस्था कर संचालित करना तथा बेरोजगार बालक बालिकाओं के लिए हार्डवेयर/ साफ्टवेयर का निःशुल्क प्रशिक्षण की व्यवस्था कर संचालित कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना।
5. राज्य सरकार, केन्द्र सरकार,समाज कल्याण विभाग,उ0प्र0एवं केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड,महिला कल्याण विभाग/निगम, हस्तशिल्प वस्त्र मंत्रालय विभाग, नाबार्ड, कपार्ट, सिडवी,सिफ्सा, अल्पसंख्यक विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, खादी ग्रामोद्योग आयोग, ग्रामोद्योग बोर्ड,कृषि मंत्रालय विकास विभाग, मद्य निषेध, सांस्कृतिक विभाग, प्रौढ शिक्षा अनौपचारिक शिक्षा एवं बाल विकास कल्याण निदेशालय, बागवानी बोर्ड, यूनीसेफ विकलांग विभाग एवं महिला कोष ग्राम्य विकास विभाग,ग्रामीण मंत्रालय,परिवार कल्याण मंत्रालय, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम,नेशनल बुक ट्रस्ट,सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय हाल्टिकल्चर विभाग पिछडा वर्ग विभाग,वन विभाग, सी0एस0आर0 (कार्पोरेट सोशल रिस्पोन्सबिलिटी) व अन्य वित्तीय संस्थाओं द्वारा संचालित विकास कार्यक्रमों का प्रचार प्रसार कार्य करना।
6. समाज के मूक, बधिर, नेत्रहीन, विकलांग लोगो के शैक्षिक बौद्धिक विकास हेतु शिक्षण प्रशिक्षण संस्थाये खोलना तथा योग्यतानुसार शिक्षण प्रशिक्षण प्राप्त कर उन्हें स्वावलम्बी बनाना।
7. मेधावी छात्रो के लिए मेडिकल/ इंजीनियरिंग कालेज आदि शिक्षण संस्थाओं की स्थापना शासन की अनुमति के उपरान्त करना व समाज की मुख्य धारा से जोडने के लिए सतत प्रयास करना।
8. विधवा निराश्रित,प्रताडित,पीडित,असहाय,परित्यक्ता तथा गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले नागरिको के बच्चे–बच्चियों को निःशुल्क शिक्षण एवं प्रशिक्षण की व्यवस्था करना ।

1. राघव राम
2. राम सहेली
3. [illegible signature]
4. विनय कुमार
5. विनय कुमार
6. राहुल कुमार
7. सुनील कुमार वर्मा

9. सामाजिक कुरीतियों जैसे–दहेज प्रथा,मद्यपान,महिला उत्पीडन,घरेलू हिंसा, अस्पृश्यता निवारण, धूम्रपान आदि के निवारणार्थ विचार गोष्ठियों / शिविरों के माध्यम से जन हित में प्रचार प्रसार करना तथा किसी जाति धर्म एवं ऊँच नीच की भावनाओं को दूर करना एवं पीडितों की मदद करना ।
10. ग्रामीण स्वच्छता, शुद्ध पेयजल, ग्रामीण विकास,ग्रामीण अंचलों में जल एवं भूमि प्रबन्धन कार्यक्रमों का प्रचार प्रसार करना तथा हैण्डपम्प नाली सम्पर्क मार्ग,खडंजा आदि की समुचित व्यवस्था कराने का प्रयास करना
11. खादी ग्रामोद्योग बोर्ड,उ0प्र0अखिल भारतीय खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग कमीशन जिला उद्योग केन्द्र की प्रवृत्ति व पैटर्न के अनुसार ग्रामोद्योगो कुटीर उद्योगो रेशम उद्योग की स्थापना व प्रचार प्रसार करना।
12. अल्पसंख्यक वर्ग (मुस्लिम वर्ग) के बालक बालिकाओं के लिए मदरसा की व्यवस्था कर संचालित करना तथा हिन्दी, उर्दू, फारसी,अरबी, अंग्रेजी भाषाओं के तालीम की व्यवस्था करना।
13. आवासीय विद्यालय, अनावासीय विद्यालय,अल्पसंख्यक विद्यालय,मिड डे स्कूल, महिला श्रमजीवी आवास एवं ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम की समुचित व्यवस्था कर संचालित करना।
14. बालबाडी, आंगनबाडी, पालनाघर,क्रैच ,शिशु रक्षा केन्द्र, बाल आश्रम, अनाथालय, विधवा आश्रम , बृद्धाश्रम एवं बाल सम्प्रेषण गृह केन्द्र की व्यवस्था करना तथा बच्चो के आहार एवं निःशुल्क स्वास्थ्य चिकित्सा की समुचित व्यवस्था कराना।
15. रक्तदान, नेत्र चिकित्सा, दन्त चिकित्सा, नेत्रदान,देहदान परिवार नियोजन, दुर्घटना पीडितो के उत्तम स्वास्थ्य के लिए टीकाकरण आदि कार्यक्रमों को स्वास्थ्य विभाग के अनुमति के उपरान्त कराना।
16. संस्था के माध्यम से मोबाइल डिस्पेन्सरी कैम्प, स्वास्थ्य कैम्प,समय–2 पर निःशुल्क चिकित्सा,रक्तदान शिविर निर्धन, निराश्रित, पिछडे वर्ग एवं कमजोर वर्ग के लोगों को चिकित्सा उपलब्ध कराना।
17. आर0सी0एच0बाल प्रजनन व बाल स्वास्थ्य कार्यक्रमों का प्रचार प्रसार करना।
18. ज्ञानवर्धन हेतु निःशुल्क पुस्तकालय,वाचनालय की स्थापना करना तथा छात्रावास, खेलकूद प्रतियोगिता,मनोरंजन एवं शहरी एवं ग्रामीण पर्यटन और पर्यटन जागरूकता कार्यक्रमों का संचालन करना।
19. आकस्मिक आपदा,जैसे महामारी,सूखा, बाढ, अग्निकाण्ड, ओलावृष्टि, तूफान, भूकम्प, सडक दुर्घटना एवं सडक सुरक्षा आदि के समय सम्बन्धित पीडितो की हरसंभव सहायता करना।
20. कमजोर उपेक्षित ,दलितो, पिछडो के उत्थान हेतु विकास कार्य एवं बाल श्रम कानून का समर्थन करते हुये बाल श्रम विद्यालय की स्थापना कर संचालित करना एवं स्ट्रीट चिल्ड्रेन बच्चो को संरक्षण देते हुये बौद्धिक विकास हेतु यथासंभव प्रयास करना।
21. वायु, जल व ध्वनि प्रदूषण,पर्यावरण संरक्षण,प्रदूषण के रोकथाम के लिए प्रचार प्रसार तथा प्रदूषण की रोकथाम के कार्य करना तथा वृक्षारोपण जैसे राष्ट्रीय कार्यक्रमों का प्रचार प्रसार करना।

1. राघव राम
2. रामसहेली
3. [illegible]
4. विनय कुमार
5. विनय कुमार
6. राहुल कुमार
7. सुनील कुमार वर्मा

5– प्रबन्धकारिणी समिति के पदाधिकारियो के नाम, पते, पद तथा व्यवसाय जिनको संस्था के नियमानुसार कार्यभार सौंपा गया है :–

क0सं0	नाम / पिता का नाम	पता	पद	व्यवसाय
1–	राघव राम पुत्र बॉके लाल	ग्राम व पो0 कफारा थाना– धौराहरा,लखीमपुर खीरी	अध्यक्ष	समाजसेवा
2–	रामसहेली पत्नी रामसनेही	ग्राम– सिरसी पो0 –चक मूसेपुर ,लखीमपुर खीरी	उपाध्यक्ष	समाजसेंवी
3–	रजनीश कुमार पुत्र राघव राम	मो0–हाथीपुर उत्तरी,निकट–जनता मान्टेसरी स्कूल, लखीमपुर खीरी	प्रबन्धक / सचिव	समाजसेवा
4–	विनय कुमार पुत्र राघव राम	ग्राम व पो0 कफारा थाना– धौराहरा, लखीमपुर खीरी	कोषाध्यक्ष	समाजसेवा
5–	विनय कुमार पुत्र राजकुमार शुक्ला	ग्राम– खेरिया , बड़ागाँव, लखीमपुर खीरी	सदस्य	समाजसेवा
6–	राहुल कुमार पुत्र बृजेन्द्र कुमार शुक्ला	ग्राम–दुजईपुरवा,पो0–पड़रिया तुला लखीमपुर खीरी	सदस्य	समाजसेवा
7–	सुनील कुमार वर्मा पुत्र श्री बच्चूलाल वर्मा	ग्राम– पड़रीमोहन, पो0– गोपालापुर लखीमपुर खीरी	सदस्य	समाजसेवा

6– हम निम्न हस्ताक्षरकर्तागण उपरोक्त स्मृतिपत्र एवं संलग्न नियमावली के अनुसार सोसाइटी रजि0ऐक्ट 1860 के अन्तर्गत एक समिति का गठन किया गया है :–

हस्ताक्षर–

1 राघव राम

2 राम सहेली

3 [illegible]

4 विनय कुमार

5 विनय कुमार

6. राहुल कुमार

7 सुनील कुमार वर्मा

श्री एजूकेशनल सोसाइटी पता–मो0 हाथीपुर उत्तरी निकट होमगार्ड आफिस,लखीमपुर,खीरी के साधारण सभा की सूची

वर्ष 2016–17

क0सं0	नाम / पिता का नाम	पता	पद	व्यवसाय
1–	राघव राम पुत्र बॉके लाल	ग्राम व पो0 कफारा थाना–धौराहरा,लखीमपुर खीरी	सदस्य	समाजसेवा
2–	रामसहेली पत्नी रामसनेही	ग्राम– सिरसी पो0 –चक मूसेपुर ,लखीमपुर खीरी	सदस्य	समाजसेवी
3–	रजनीश कुमार पुत्र राघव राम	मो0–हाथीपुर उत्तरी,निकट–जनता मान्टेसरी स्कूल, लखीमपुर खीरी	सदस्य	समाजसेवा
4–	विनय कुमार पुत्र राघव राम	ग्राम व पो0 कफारा थाना– धौराहरा, लखीमपुर खीरी	सदस्य	समाजसेवा
5–	विनय कुमार पुत्र राजकुमार शुक्ला	ग्राम– खेरिया , बड़ागॉव, लखीमपुर खीरी	सदस्य	समाजसेवा
6–	राहुल कुमार पुत्र बृजेन्द्र कुमार शुक्ला	ग्राम–दुजईपुरवा,पो0–पड़रिया तुला लखीमपुर खीरी	सदस्य	समाजसेवा
7–	सुनील कुमार वर्मा पुत्र श्री बच्चूलाल वर्मा	ग्राम– पड़रीमोहन, पो0– गोपालापुर लखीमपुर खीरी	सदस्य	समाजसेवा

हस्ताक्षर–

1 राघव राम

2 राम सहेली

3 [signature]

4 विनय कुमार

5 विनय कुमार

6. राहुल कुमार

7 सुनील कुमार वर्मा

नियमावली

1–संस्था का नाम : **श्री एजूकेशनल सोसाइटी**

2–संस्था का पता : **मो0 हाथीपुर उत्तरी निकट होमगार्ड आफिस,लखीमपुर,खीरी**

3–संस्था का कार्यक्षेत्र : **सम्पूर्ण उ0प्र0**

4–संस्था की सदस्यता तथा सदस्यो के वर्ग–

आजीवन सदस्य–

जो व्यक्ति निःस्वार्थ भाव से एक बार में 1000/–रूपये नगद या उतने ही मूल्य की चल अचल सम्पत्ति प्रदान करता हो वह संस्था का आजीवन सदस्य होगा।

सामान्य सदस्य–

जो व्यक्ति संस्था के विकास हेतु 100/–रूपये वार्षिक सदस्यता शुल्क प्रदान करता हो वह संस्था का सामान्य सदस्य होगा।

5–सदस्यता की समाप्ति–

1–मृत्यु हो जाने पर।
2–पागल या दिवालिया हो जाने पर।
3–लगातार 3 बैठकों में अनुपस्थित होने पर।
4–नियमित रूप से सदस्यता शुल्क न अदा करने पर।
5–किसी नैतिक अपराध में न्यायालय द्वारा दंडित होने पर।
6–संस्था के प्रति हानिकर कार्य करने पर।
7–अविश्वास प्रस्ताव या त्यागपत्र देने पर।

6–<u>संस्था के अंग</u> –

1–साधारण सभा
2–प्रबन्धकारिणी समिति

7–<u>साधारण सभा</u>–

<u>गठन</u>– संस्था के आजीवन तथा सामान्य सदस्यो को मिलाकर साधारण सभा का गठन होगा।

<u>बैठके</u>– संस्था की सामान्य बैठक साल में एक बार तथा विशेष बैठक आवश्यकतानुसार कभी भी बुलाई जा सकती है।

<u>सूचना अवधि</u>–

संस्था की सामान्य बैठक की सूचना 15 दिन पूर्व तथा विशेष बैठक की सूचना 7 दिन पूर्व लिखित रूप में दी जायेगी।

<u>गणपूर्ति</u>– साधारण सभा के 2/3 सदस्यो की उपस्थिति गणपूर्ति मान्य होगी।

<u>विषेष वार्षिक अधिवेषन की तिथि</u>–

साधारण सभा की सामान्य बैठक का वार्षिक अधिवेशन साल एक बार होगा जिसकी तिथि प्रबन्धकारिणी समिति के 2/3 सदस्यों के बहुमत से तय की जायेगी।

1. राघव राम

2. राम सहेली

3. [signature]

साधारण सभा के अधिकार एवं कर्तव्य–

1–संस्था का प्रबन्धकारिणी समिति का निर्वाचन करना।

2–संस्था का वार्षिक बजट पास करना।

3–संस्था की वार्षिक रिपोर्ट पास करना।

4–नियमो में संशोधन परिवर्तन व परिवर्धन करना।

8–प्रबन्धकारिणी समिति –

गठन–

साधारण सभा द्वारा निर्वाचित सदस्यो को मिलाकर प्रबन्धकारिणी समिति का गठन होगा जिसमें अध्यक्ष–1,उपाध्यक्ष–1, प्रबन्धक/सचिव –1, कोषाध्यक्ष–1, तथा सदस्य–03 होगें इस प्रकार कुल संख्या–07 होगी तथा सदस्यो की संख्या कम से कम 7 तथा अधिकतम संख्या–21 तक जा सकती है।

बैठके– प्रबन्धकारिणी समिति की सामान्य बैठक साल में चार बार तथा विशेष बैठक आवश्यकतानुसार कभी भी बुलाई जा सकती है।

सूचना अवधि–

प्रबन्धकारिणी समिति की सामान्य बैठक की सूचना 7 दिन पूर्व तथा विशेष बैठक की सूचना 3 दिन पूर्व लिखित रूप में दी जायेगी।

गणपूर्ति–

प्रबन्धकारिणी समिति के 2/3 सदस्यो की उपस्थिति गणपूर्ति मान्य होगी।

रिक्त स्थान की पूर्ति–

प्रबन्धकारिणी समिति के अन्तर्गत यदि कोई स्थान रिक्त होता है तो उसकी पूर्ति साधारण सभा के 2/3 सदस्यो के बहुमत से शेष कार्यकाल के लिए की जायेगी।

प्रबन्धकारिणी समिति के अधिकार एवं कर्तव्य–

1–संस्था की उन्नति हेतु आवश्यक कार्य करना।

2–संस्था का वार्षिक बजट तथा वार्षिक रिपोर्ट तैयार करना।

3–दान,अनुदान,चन्दा प्राप्त करना तथा संस्था के विकास में लगाना।

4–उद्देश्यों की पूर्ति हेतु राज्यसरकार,केन्द्रसरकार,समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0 एवं केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड,महिला कल्याण निगम,सूडा, डूडा, नाबार्ड,सिडवी, सिफ्सा,अल्पसंख्यक विभाग,मानव संसाधन विकास मंत्रालय, कपार्ट, ग्रामोद्योग आयोग,ग्रामोद्योग बोर्ड,कृषि मंत्रालय विकास विभाग,मद्य निषेध, सांस्कृतिक विभाग,प्रोढ शिक्षा,अनौपचारिक शिक्षा एवं बाल विकास कल्याण निदेशालय, सी0एस0आर0 (कार्पोरेट सोशल रिस्पोन्सबिलिटी) देशी विदेशी एवं अन्य वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से ऋण अनुदान,चन्दा प्राप्त करना तथा संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति में लगाना।

5–संस्था के माध्यम से उप समितियों को गठित करना तथा उसका संचालन संस्था द्वारा कराना।

1, राघव राम

2 राम सहेली

3

कार्यकाल– प्रबन्धकारिणी समिति का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा।

9. प्रबन्धकारिणी समिति के पदाधिकारियों के अधिकार एवं कर्तव्य –

अध्यक्ष–

1. समस्त बैठको की अध्यक्षता करना।
2. समान मत होने पर निर्णायक मत देना।
3. बैठकों के लिए दिनांको का अनुमोदन,परिवर्तन तथा बैठकों को स्थगित करना।
4. बैठक में शान्ति व्यवस्था कायम रखना।
5. संस्था के विकास में पूर्ण सहयोग करना।

उपाध्यक्ष–

अध्यक्ष की अनुपस्थिति में कार्य करना और उसके कार्यो में सहयोग प्रदान करना।

प्रबन्धक/सचिव –

1. संस्था का कार्य मुख्य कार्यपालक के रूप में करना।
2. प्रबन्धकारिणी समिति के निर्णयों को कार्यान्वित करना।
3. पारित बजट के अन्तर्गत व्यय की स्वीकृति देना।
4. समस्त बैठको की सूचना सदस्यों को लिखित रूप में देना।
5. बैठकों की कार्यवाही लिपिबद्ध करना।
6. संस्था के समस्त पत्र व्यवहार करना।
7. राजकीय सहायता तथा ऋण,अनुदान,चन्दा प्राप्त करना।
8. समस्त बिल,बाऊचर,ऋणपत्र,मांगपत्र,चैक अनुबन्ध पत्रों तथा अन्य आवश्यक प्रपत्रों में हस्ताक्षर करना।
9. संस्था की चल अचल सम्पत्ति की सुरक्षा तथा उस पर नियंत्रण रखना।
10. वैतनिक कर्मचारियों की नियुक्ति पदोन्नति तथा निष्कासन करना।
11. संस्था की ओर से समस्त अदालती कार्यवाही का संचालन करना।
12. समिति की स्वीकृति की प्राप्ति पर आवश्यकतानुसार धन व्यय करना।
13. संस्था के विकास में पूर्ण सहयोग करना।

कोषाध्यक्ष–

1. आय व्यय का लेखा जोखा तैयार करना।
2. दान,अनुदान,चन्दा प्राप्त करना तथा संस्था के विकास में लगाना।
3. प्रबन्धक/सचिव द्वारा हस्ताक्षरित बिलों का भुगतान करना।
4. संस्था हित में पूर्ण सहयोग करना।

1. राघव राम

2. राम सहेली

3. [signature]

10–संस्था के नियमों व विनियमों में संशोधन प्रक्रिया–

साधारण सभा के 2/3 सदस्यों के बहुमत से संस्था के नियमों व विनियमों में संशोधन परिवर्तन व परिवर्धन करना।

11–संस्था का कोष–

संस्था का कोष किसी राष्ट्रीय कृत बैंक स्थानीय बैंक ,शेडयूल्ड बैंक या डाकघर में संस्था के नाम खाता खोला जायेगा तथा खाते का संचालन प्रबन्धक/सचिव तथा अध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जायेगा ।

12–संस्था के आय व्यय का लेखा जोखा परीक्षण–

संस्था के आय व्यय का लेखा परीक्षण प्रतिवर्ष सुयोग्य आडिटर द्वारा कराया जायेगा।

13–संस्था के द्वारा अथवा उसके विरूद्ध अदालती कार्यवाही के संचालन का उत्तरदायित्व

संस्था के द्वारा अथवा उसके विरूद्ध अदालती कार्यवाही के संचालन का दायित्व प्रबन्धक/सचिव पर होगा या उसके द्वारा अधिकृत अन्य व्यक्ति पर होगा।

14–संस्था के अभिलेख–

1–कार्यवाही रजिस्टर
2–सदस्यता रजिस्टर
3–स्टाक रजिस्टर
4–कैशबुक,लेजर आदि।

15– संस्था के विघटन एवं विघटित सम्पत्ति के निस्तारण की कार्यवाही सोसाइटीज अधिनियम की धारा 13 व 14 के अन्तर्गत की जायेगी।

दिनांक–

– सत्य प्रतिलिपि –

हस्ताक्षर–

1. राघव राम
2. राम सहेली
3. [signature]

QCI

ORGANISATIONAL MEMBERSHIP CERTIFICATE

This is to certify that:

Sri Educational Society

has been admitted as a Organisational Member of Quality Council of India under the Category of **NGO** in accordance with the Membership Rules of the Council. This, however, doesnot indicate membership in any of the board of QCI.

Member No: CORP/NGO/5284/2018-19

Valid Upto: October 15, 2019

C K Biswas, CEO

National Board for Quality Promotion

Quality Council of India

2nd floor, Institute of Engineers Building

Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi 110002, India

Tel: 91-11-23379321, 23379260

Fax: 91-11-23379621, Web: www.qcin.org

आयकर विभाग
INCOME TAX DEPARTMENT

भारत सरकार
GOVT. OF INDIA

स्थायी लेखा संख्या कार्ड
Permanent Account Number Card

AAQAS7864M

नाम / Name

SRI EDUCATIONAL SOCIETY (SES)

निगमन/ गठन की तारीख
Date of Incorporation / Formation

09/06/2016

Certificate of Registration

Awarded to

SRI EDUCATIONAL SOCIETY (SES)

MOH.-HATHIPUR UTTARI, NEAR-HOMEGUARD OFFICE, ANAND TALKIES ROAD, LAKHIMPUR KHERI-262701 (U.P.) INDIA

It is Certified that Quality Management System of Organization has been audited and found to be in accordance with the requirements of

ISO 9001:2015

For the Scope of activities described below

PROVIDING COMPUTER COURSES, MANAGEMENT & I.T. COURSES, SKILL DEVELOPMENT COURSES, UNIVERSITY COURSES AND VOCATIONAL TRAINING PROGRAMME COMPETATIVE, TEACHER TRANING, HARDWARE, SOFTWARE, NETWORKING, WEB DESIGNING PROGRAMME.

Certificate No :	**17DQAC07**		
Initial Registration Date :	02-02-2017	Issuance Date :	02-02-2017
Date of Expiry* :	01-02-2020		
Ist Surve. Due	02-01-2018	IInd Surve. Due	02-01-2019

Director

ROHS

DAC
مركز اعتماد تقييم المطابقة
DUBAI ACCREDITATION CENTER

CB-035-MS

MEMBER OF MULTILATERAL IAF RECOGNITION ARRANGEMENT

ROHS Certification Pvt. Ltd.

Accredited By: Dubai Accreditation Center (DAC), Member of International Accreditation Forum (IAF)

408, Madhuban Building, 55, Nehru Place, New Delhi - 110 019,India | +91. 11. 41525522| e-mail : info@rohscertification.co.in, www.rohscertification.co.in

The Registration is not a Product Quality Certificate

Certificate is the property of ROHS and return when demanded

** Subject to successful completion of surveillance audits*

Visit for verification on www.rohscertification.co.in